न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 04/2015

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बालूराम
2. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री ओम प्रकाश जाति खाती निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री बंजरग लाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री शिव प्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.01.2013 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बघेरा में आयोजित राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा श्री बंजरग लाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम बघेरा के आराजी खसरा नम्बर 4702 रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नम्बर 4703 रकबा 0.73 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण ने प्राथमिक आपत्ति दर्ज करवाते हुए इस न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14/2014 सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी बनाम श्री बंजरगलाल में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2015 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आंवटन को निरस्त किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व आदेश की पालना करवायी जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर ध्यानपूर्वक मनन किया व इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण संख्या 14/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2015 का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के आवंटन को पूर्व में ही दिनांक 30.06.2015 को निरस्त किया जा चुका है। अतः अब पुनः नये सिरे से कोई आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाकर राजस्व प्रकरण संख्या 14/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2015 की पालना सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner